

4/13  
10/8



19/8/13  
श्रीमान श्रीमान  
श्रीमान श्रीमान  
13.6.13

वेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदयजी

न्यायालय बिजोलिया

- (1) केलीबाई पति धीरीलाल जाति धाकड उम्र 58 साल व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी डोबिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
- (2) ज्ञानमल पिता गोदपुत्र जाति धाकड उम्र 35 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
- (3) प्रभुलाल पुत्र भेरूलाल जाति धाकड उम्र 64 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

- (1) मूर्ति मन्दिर चारभुजा ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजोलिया नाबालिग मार्फत सारक्षक
- (2) राजस्थान सरकार तहसीलदार महोदय बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपरोक्त विषय में वादीगण की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर वादपत्र सादर प्रेषित है-

- (1) यह कि प्रतिवादी सख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा स्थल होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है।
- (2) यह कि माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुड़ी उनकी कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है।
- (3) यह कि वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी में दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर ...~~220~~... जिसका रकबा...~~12~~ बिरवा के कुछ बिरवा पर काश्त की जाती थी जिसके बदले में खातेदारी भूमि में उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जाता था शेष 2/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वजों के परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के पूर्वजों द्वारा भूमि का रख रखाव करने अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया जिस उन्हीने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि लगायी।

दि 2.11.13